राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 58/24 प्रा.पत्र

1. श्री रामलाल S/o श्री काशीराम दरोगा निवासी - हिसाणिया तहसील - माण्डल

प्रार्थी

बनाम

1- श्री गरधराम S/o श्री काशीराम दरोगा निवासी - हिसाणिया तहसील - माण्डल (भीo)
(सहखातेदार प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 21.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिसाणिया पटवार हल्का हिसाणिया तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 2094/703 कुल किता 01 रकबा 0.6323 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 13.03.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्राकृतिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हिसाणिया पटवार हल्का हिसाणिया तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2094/703 कुल किता 01 रकबा 0.6323 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आत्मभारा को 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मे मौके व कब्जे यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील चिन्ह ... जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल